

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(3)नविवि / 3 / 1986

जयपुर, दिनांक:- 14.08.2023

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम-1962 के नियम-4 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23.11.2014 व संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.03.2014 के द्वारा बारां के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2033 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर परिषद, बारां के निकाय की बैठक दिनांक 23.08.2022, 27.02.2023 व 28.04.2023 के निर्णय अनुसार जोनल डबलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत बारां मास्टर प्लान-2033 में प्रस्तावित किये गये संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त बारां मास्टर प्लान-2033 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर परिषद, बारां के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुगल किशोर मीणा)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, बारां।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर परिषद, बारां।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक .08.2023 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजायाये जाने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय